प्रेस नोट **दिनांक 06.02.2025**

दुष्कर्म मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री क्रिस राजपूत के कुशल नेतृत्व मे थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मड़ईयाघाट तमसा नदी के किनारे रेलवे पुल के नीचे से मु0अ0स0 41/26 धारा 137(2), 87, 70(2), 123 बीएनएस व 5(जी)/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त अंशु उर्फ आशुतोष कुमार पुत्र ज्ञानचन्द्र निवासी निजामुद्दीनपुर हरिजन बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ, अभिषेक उर्फ टीमालू पुत्र रामबचन निवासी मुहमल्ला माता पोखरा शीतला मंदिर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल बुलेट बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्तो को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया। बरामद मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. अंशु उर्फ आशुतोष कुमार पुत्र ज्ञानचन्द्र निवासी निजामुद्दीनपुर हरिजन बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
2. अभिषेक उर्फ टीमालू पुत्र रामबचन निवासी मुहमल्ला माता पोखरा शीतला मंदिर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0स0 41/26 धारा 137(2), 87, 70(2), 123 बीएनएस व 5(जी)/6 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. एक अदद मोटरसाइकिल बरामद।

अपहरण मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 05/06.02.2026 को पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना हाजा से मु0अ0सं0 16/26 धारा 137(2), 87 बीएनएस में वांछित अभियुक्त आजम खान पुत्र खलिक खान निवासी नदवासराय थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. आजम खान पुत्र खलिक खान निवासी नदवासराय थाना घोसी जनपद मऊ

अभियोग का विवरण–

1. मु0अ0सं0 16/26 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना रानीपुर जनपद मऊ।

02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में वांछित/वारण्टी के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान फरार चल रहे 02 नफर वारण्टी अभियुक्त राजेश पुत्र स्व0 शिवनाथ, जयप्रकाश पुत्र स्व0 शिवनाथ निवासीगण युसुफाबाद थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

साइबर क्राइम टीम जनपद मऊ ने साइबर फ्राड से बचने के लिये छात्र/छात्राओं को किया गया जागरूक-

आज दिनांक 06.02.2026 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार, तथा क्षेत्राधिकारी नगर क्रिस राजपूत के पर्वेक्षण में "साइबर जागरूकता कार्यक्रम अभियान" के तहत जनपदीय थाना साइबर क्राइम की टीम ने शुक्रवार को पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय महुआर, कसारा मऊ के बच्चो को होने वाले साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया।

जनपदीय साइबर क्राइम थाना प्र0नि0 शैलेश सिंह, मु0आ0 शैलेन्द्र कुमार कन्नौजिया, अनूप यादव साइबर क्राइम थाना जनपद मऊ तथा मिशन शक्ति टीम थाना कोपागंज जनपद मऊ के साथ विद्यालय उपस्थित उप प्रधानाचार्य व शिक्षक/शिक्षिकाएँ और छात्र/छात्राओं को साइबर फ्राड/सोशल मीडिया पर घटित घटनाओं के बारे में बताया कि आज की आधुनिक दुनिया में तकनीकी सेवाओं का प्रयोग बहुत ही तेजी से किया जा रहा है जिसके हमारे जीवन मे बहुत से लाभ है परन्तु यदि इन सुविधाओ का प्रयोग सजग तरीके से न किया जाए तो हमें इसके बहुत से नुकसान भी हो सकते है। आज साइबर अपराध लोगो के लिए बहुत गम्भीर समस्या बनता जा रहा है।

साइबर जागरूकता के प्रमुख बिंदु

1. किसी भी अनजान कॉल, मैसेज या ई-मेल पर तुरंत भरोसा न करें।

2. OTP, पासवर्ड, ATM पिन या बैंक विवरण किसी से साझा न करें।

3. फर्जी लिंक (लॉटरी, इनाम, जॉब ऑफर, KYC अपडेट) पर क्लिक करने से बचें।

4. सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी सीमित रखें।

5. मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और समय-समय पर बदलते रहें।

6. केवल आधिकारिक वेबसाइट और ऐप का ही उपयोग करें।

7. सार्वजनिक Wi-Fi पर ऑनलाइन बैंकिंग या भुगतान न करें।

8. ऑनलाइन खरीदारी करते समय वेबसाइट की सुरक्षा (https) जांचें।

9. किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें।

10. साइबर अपराध से संबंधित जानकारी परिवार व मित्रों से साझा करें।

साइबर क्राइम थाना

जनपद मऊ